आचार संहिता

1. महाविद्यालयीन अनुशासन से तात्पर्य ऐसे आंतरिक तथा बाह्य अनुशासन से लिया जाता है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास करें । इसका तात्पर्य कार्यो को करने की व्यवस्था एवं क्रमबद्धता, नियमों तथा आज्ञाओं का पालन। अनुशासन वह है जिसका विकास शनैः शनैः आत्मनियंत्रण एवं सहयोग की आदत डालने के फलस्वरुप होता है, जिसकी आवश्यकता एवं मूल्य को छात्र स्वयं स्वीकार करें। सच्चे अनुशासन का अर्थ तो आत्मनियंत्रण का ऐसा स्वाभाव है जो संस्था के भीतर व बाहर तथा छोड़ने के बाद भी दिखाई पड़े।
2. अनुशासन की स्थापना में महाविद्यालय के नियमों एव परंपराओं का बड़ा स्थान है। सामाजिक हित के लिए बलिदान करना आवश्यक है, नियमों के अनुसार संस्था में कार्य करने की आदत डालने से भावी जीवन में नियमित रुप से कार्य करने में कठिनाई नहीं होती।
3. महाविद्यालय के नियमों का पालन करना प्रत्येक छात्र का कर्त्तव्य है । इस विद्यालय की एक परंपरा है, छात्र उससे परिचित हो और उस परंपरा निर्माण में सहयोग दें, वस्तुतः महाविद्यालय अनुशासन स्वस्थ परंपरा का ही विषय है । छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि इन्हीं छोटे-छोटे नियमों का पालन कर महाविद्यालय के उन्नयन, सम्मान एवं गौरव की वृद्धि में सहयोग दें।
4. कोई छात्र-छात्रा महाविद्यालय के अनुशासन को भंग करेंगें तो स्थानांतरण पत्र दे दिया जायेगा । गंभीर अनुशासनहीनता या आचरण संबंधी त्रुटि होने पर उसे निष्कासित करने का प्राचार्य को अधिकार है।
5. प्राचार्य को अधिकार है कि वह बिना कारण बतायें किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के लिए मना कर दें और इस विषय में किसी भी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।
6. जिन छात्रों का आचरण असंतोषजनक रहा हो अथवा जिनके प्रवेश से महाविद्यालय में अशांति की आशंका है, ऐसे छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
7. प्रत्येक छात्र अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित अध्ययन पर लगाए साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में भी पूरा-पूरा सहयोग दें।
8. महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि की शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्र रुचि लेगा और शांति रखनें में और सुधारने में सहयोग देगा। इसके विपरीत किसी भी प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से न तो भाग लेगा और दुसरों को उकसायेगा ।
9. प्रत्येक छात्र अपने व्हहार में सहपाठियों और शिक्षकों से नम्रता का व्यवहार करेगा और कभी अश्लील, अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा ।
10. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन वर्ज्य होगा।
11. छात्रों को यदि कोई कठिनाई हो तो गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली में और शांतिपूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।
12. आंदोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग छात्र / छात्रा नहीं अपनायेगा।
13. छात्र / छात्रा सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेगा और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप या सहायता नहीं मांगेगा।

14. परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा।
15. छात्र / छात्राओं को ऐसा अनुशासन एवं संयम बरतना होगा जिससे महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे ।
16. आचरण के इन साधारण नियमों के भंग होने पर छात्र को चाहिए कि दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने में सहयोग दें, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य अध्ययन- अध्यापन शांति और मनोयोग के साथ चल सकें।
17. हिंसा, आतंक, धार्मिक उन्माद, नशाखोरी और अनैतिक गतिविधियों से छात्र / छात्राएं दूर रहे। यदि ऐसे आरोपों से वे प्रभावित हुए तो उन्हे तत्काल महाविद्यालय से निकाल दिया जायेगा।
18. महाविद्यालय की दीवारों पर लिखना या पोस्टर चिपकाना मना है। ऐसा करने वालों को अर्थदण्ड के अलावा महाविद्यालय से निकाले जाने का दण्ड दिया जा सकता है।
19. छात्राओं के लिए पृथक छात्रा-कक्ष हैं । खाली पीरियेड में उनका उपयोग किया जायें। महाविद्यालय परिसर में घूमने वाले अध्येताओं पर अनुशासन भंग की कार्यवाही की जावेगी।
20. यदि छात्र / छात्राओं की व्यक्तिगत स्तर पर सामूहिक रुप से कोई कठिनाई हो, या किसी काम को करने की अनुमति लेनी हो तो वे विभागध्यक्ष अथवा प्राचार्य को लिखित निवेदन देंगे।
21. अध्येताओं के अध्ययन हेतु निर्धारित समय पर कक्षाओं में उपस्थिति आवश्यक है।
22. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति से कम उपस्थिति होने पर छात्र / छात्राओं को परीक्षा में वंचित किया जा सकता है